आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रोडक्शन संवर्ग में कार्य कर रहे व्यक्ति

1906. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रोडक्शन संवर्ग में ऐसे कितने व्यक्ति इस समय कार्यरत हैं जिन्हें 1-10-1964 को इस सेवा में नियुक्त किया गया था ;

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन में ऐसे कितने केन्द्र निदेशक कार्यरत हैं जो 1-10-1964 को प्रेषण प्रबंधक के दर्जे में कार्य कर रहे थे ;

(ग) क्या यह सच है कि 1-10-1964 को जो व्यक्ति वरिष्ठ लेखक और प्रोडयूसर के पदों पर कार्य कर रहे थे उन्हें उसी प्रकार पदोन्नतियां नहीं दी गईं जिस प्रकार प्रेषण प्रबंधकों के मामले में दी गई थी ; और

(घ) क्या सरकार प्रोडक्शन संवर्ग के उन अधिकारियों को पदोन्नति के मामले में अब कुछ तरजीह देने का विचार रखती है, यदि हां, तो उसकी व्यापक रूपरेखा क्या होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल): (क) से (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन के निर्माण संवर्ग में स्टाफ आर्टिस्ट, स्टाफ आर्टिस्ट संवर्ग के हैं, जिन्हें अनुबन्ध आधार पर लगाया जाता है । केन्द्र निदेशक, कार्यक्रम एग्जीक्यूटिव, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, आदि जैसे व्यक्ति कार्यक्रम संवर्ग के हैं तथा नियमित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं । सरकार ने यह स्वीकृत किया है कि स्टाफ आर्टिस्ट संवर्ग के ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें अंशदायी भविष्य निधि के लाभ प्राप्त थे, किन्तु पेंशन के नहीं, पेंशन पाने तथा कार्यक्रम संवर्ग के व्यक्तियों के साथ और पदोन्नति के लिए पात्र बना दिया जाय । इस प्रयोजन के लिए, कार्यक्रम स्टाफ आर्टिस्ट संवर्ग के व्यक्तियों को संवर्ग के उच्च पदों पर पदोन्नत करने के लिए विचार करना सुविधाजनक बनाने के लिए नियमों में संशोधन कर दिया गया है ।

नियमित सरकारी कर्मचारी समझे जाने के लिए स्टाफ आर्टिस्टों के विकल्प के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनकी स्क्रीनिंग किए जाने की कारवाई चल रही है । भर्ती नियमों में भूतपूर्व स्टाफ आर्टिस्ट संवर्ग के व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए कोटा नियत करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है तथा इस कोटे में स्टाफ आर्टिस्ट संवर्ग तथा कार्यक्रम संवर्ग की संबंधित श्रेणी के पदों के बीच अनुपात नियत होगा । उपर्युक्त को देखते हुए निर्माण संवर्ग के व्यक्तियों, जो अनुबंध कर्मचारी हैं तथा कार्यक्रम संवर्ग के व्यक्तियों जो नियमित सरकारी कर्मचारी हैं, के कैरियर की उन्नति की कोई तुलना करना उपयुक्त नहीं होगा।

Suspension/dismissal of DDA officials.

1907. DR. SHYAM SUNDER MOHAPATRA:
SHRI V. GOPALSAMY:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the total number of officials who were suspended/dismissed/compulsorily retired in DDA during the last three years, names and designation of each one of them;

(b) the total number of cases at present pending where disciplinary proceedings have been initiated against DDA officials;

(c) the number of officials on deputation at present in DDA and the list of such officials along with deputation period; and

(d) what steps are being proposed to cleanse DDA from fraud and corruption?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Suspended: 84 (18 in 1983, 22 in 1984 and 44 in 1985), as per Statement I (*See below*).

Dismissed: 5 (3 in 1983 and 2 in 1985), as per Statement II (*See below*)

Compulsorily retired: 5 (all in 1985), as per Statement III (*See below*)

(b) 150 cases.

(c) 445 officials. List of such officials is being copleted and will be laid on the Table of the House.

(d) A brief note indicating the steps taken|proposed to be taken are given in Statement IV (*See below*)